न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवरलाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 133/2011/(2011/00053) जिला–नागौर

1. मोहनराम पुत्र हाथीराम
2. परसाराम पुत्र मुगनाराम
3. पतासी देवी पत्नी मोहनराम

समस्त जाति जाट निवासी कडवासरों की (सांगवो) ढाणी, तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामपाल पुत्र मल्लाराम
2. भागीरथराम पुत्र हरिराम
3. रामप्रकाश पुत्र हरिराम
4. नरेश पुत्र हरिराम
5. केली देवी पत्नी हरिराम
6. घेवरराम पुत्र रामसुख
7. किशनाराम पुत्र रामसुख
8. धर्माराम पुत्र रामसुख
9. हरकाराम पुत्र रामदीन

समस्त जाति जाट, निवसी कडासरों की ढाणी (सांगवो की ढाणी) तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता सिटी

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता सिटी दिनांक 09–05–2011
अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 24/2008
बउनवान मोहनराम व अन्य बनाम रामपाल व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री घनश्याम सिंह लखावत, अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री तेजेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थीगण 1 से 9

निर्णय

दिनांकः– 25–05–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता सिटी के समक्ष अन्तर्गत धारा 128

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सांगवों की ढाणी व हरसोलाव में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4128, 4129, 4130, 4183, 4486, 4487, 4488, 4489 में से खसरा नम्बर 4128, 4129, 4130 व 4183 सांगवो की ढाणी में तथा खसरा नम्बर 4486, 4487, 4489, 4488 हरसोलाव की सरहद में है। दोनों पक्षकारान के मध्य इन खसरानम्बरान की भूमियों को लेकर सीमा विवाद होता रहता है व विवादित आराजियात बाबत कई मुकदमे विचाराधीन है तथा प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण की तारबन्दी को हटाने पर आमादा है इस कारण खसरा नम्बर 4128 की उत्तरी पूर्वी व 4129 एवं 4130 की पूर्वी तरफ वाके मौजा सांगवो की ढाणी व खसरा नम्बर 4183 की दक्षिणी पूर्व सांगवों की ढाणी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी एवं खसरा संख्या 4486, 4487, 4488, 4489 की दक्षिणी सीमा कायम कर पत्थरगढी व खसरा संख्या 4128 की उत्तरी पूर्वी सीमा कायम कर पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायलय ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरान्त दिनांक 9–5–2011 को अपनेआदेश द्वारा मात्र एक खसरा नम्बर बाबत सीमाज्ञान व पत्थरगढी का आदेश देते हुए उक्त खसरा नम्बर की 10 बिस्वा भूमि को कम करते हुए सीमाज्ञान करने का आदेश पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता सिटी के उक्त आदेश दिनांक 9–5–2011 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण के लम्बित रहते खसरा नम्बर 4486 की 10 बिस्वा भूमि विपक्षी ने स्वयं की होने का कथन किया जबकि इसके बारे में कोई अमलदरामद नहीं है इस कारण आदेश 11 नियम 12 के तहत मूल विक्रय पत्र तलब करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विक्रय पत्र नहीं होते हुए भी 10 बिस्वा भूमि अपीलार्थीगण के हिस्से की घटाकर सीमाज्ञान करने का आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अधिनियम की धारा 128 के प्रावधाों को समझने में भूल की है तथा उनके निर्णय में ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया जिसमें कि वह खातेदार अंकित हो, केवल प्रत्यर्थीगण के अवैध कथनों के आधार पर 10 बिस्वा भूमि कम करके सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने का आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–5–2011 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 4489 में से 10 बिस्वा भूमि को पूर्व खातेदार श्री रामुराम पुत्र धन्नाराम से अप्राथी संख्या 2 से 8

के पूर्वज रामसुख पुत्र बीरमराम ने दिनांक 4–9–1960 को 50/– रूपये में क्रय की थी। तत्समय टुकड़ों में रजिस्ट्री नहीं होती थी। खसरा नम्बर 4489 का शेष रकबा का बेचान प्रार्थीगण को कर दिया था। उपरोक्त खसरा नम्बरान के चिपते ही प्रत्यर्थीगण के खेत आये हुए है। खसरा नम्बर 4489 में से 10 बिस्वा खरीदशुदा जमीन को छोड़कर उत्तर में माठ डाली हुई है जो 50 साल पुरानी है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के खेतों के मध्य सीमाओं का कोई विवाद नहीं है। असल विवाद खसरा नम्बर 4489 की 10 बिस्वा भूमि का है जो प्रत्यर्थीगण की दिनांक 4–9–1960 को खरीदशुदा भूमि है। उस वक्त छोटे टुकड़ों में रजिस्ट्री नहीं होने के कारण खसरा नम्बर 4489 के खातेदार ने 10 बिस्वा सहित पूरे रकबे का विक्रय विलेख प्रार्थीगण को कर दिया था। अपीलार्थीगण के खेतो की सीमाओं पर विवाद होता तो पत्थरगढी करवाने अथवा सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार मेड़ता को प्रार्थना पत्र दिया जाता। अपीलार्थीगण ने सीमाज्ञान हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के खेतों के मध्य सीमा का कोई विवाद नहीं है। अपीलार्थीगण अपने सम्पूर्ण खेतो का नाप करवा चुका है, नापचोक में अपीलार्थीगण के कब्जे की भूमि कम नहीं है। अपीलार्थीगण की भूमि कम या ज्यादा होती तो नवीन पैमाईश के दौरान कर्मचारियेां के समक्षप्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान करवा सकता था। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से अपील पेश की है जो खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा ग्राम हरसोलाव की विवादित आराजियात खसरा नम्बर 4489 रकबा 9.14 बीघा में से 10 बिस्वा भूमि को अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर छोड़ते हुए दक्षिणी सीमा में सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न विक्रय पत्र जो कि दिनांक 4–9–1960 को रामूराम वल्द धन्नाराम कौम जाट कडवासरा साकिन हरसोलाव तहसील मेडता द्वारा रामसुख वल्द बीरम कौम जाट कडवासरा साकिन हरसोलाव के पक्ष में तहरीर किया गया है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 4489 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा में से 10 बिस्वा प्रत्यर्थीगण के पूर्वजों को गाये व मवेशियों को निकालने के लिए 50/– रूपयें में सादे कागज पर लिखकर विक्रय की गई थी जिसकी फोटो प्रति ही संलग्न है। उक्त विक्रय पत्र अपंजीकृत है, अपंजीकृत दस्तावेज प्रथम दृष्टया कोई हक व अधिकार प्रदान नहीं करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य विवाद बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौके पर सुनवाई कर दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौके पर कब्जे के आधार पर मुस्तकिल मुटाम से पत्थरगढ़ी/सीमांकन का आदेश पारित किया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–05–2011 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक दिनांक 09–05–2011 प्रकरण संख्या 24/2008 बउनवान मोहनराम व अन्य बनाम रामपाल व अन्य त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार मेड़ता को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर देकर नियमानुसार सम्पूर्ण रकबे का सीमांकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर